

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा के सहायक अभियन्ता राजकुमार मुन्दडा एवं भारत भूषण गोयल, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) 50,000/- रुपये की रिश्त राशि लेते गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 24 सितम्बर, बुधवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजकुमार मुन्दडा हाल सहायक अभियन्ता, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा एवं भारत भूषण गोयल हाल कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाडा द्वारा परिवादी से उसके द्वारा विभिन्न स्कूलों में करवाये गये निर्माण कार्यों के लगभग 19 लाख के रुपये के रनिंग बिल बनाकर पेश करने के बाद उनके बिल पास करने के एवज में 50,000/- रुपये की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम को एक शिकायत इस आशय की मिली की राजकीय विधालयों में करवाये गये बिल्डिंग निर्माण कार्यों के परिवादी के उक्त बिलों को पास करने की एवज में 40,000/- रुपये की रिश्त राशि की मांग की गई। दिनांक 19.09.2025 को रिश्त राशि मांग का सत्यापन के दौरान परिवादी ने आरोपी राजकुमार मुन्दडा से मिलकर रनिंग बिलों को पास करने की वार्ता की तो राजकुमार ए.ई.एन. ने परिवादी को कहा कि भारत भूषण गोयल (कनिष्ठ अभियन्ता) से बात करने के लिये कहा, जिस पर परिवादी ने भारत भूषण गोयल से जाकर मिला तो उसने कहा कि आपके 19.00 लाख रुपये के बिल हो रहे है, जिसमें से 16.00 लाख का ई.सी.एस. कर देंगे। उक्त सभी बिलों के 03 प्रतिशत कमीशन राशि के हिसाब से 48 हजार रुपये की मांग एवं पूर्व के निर्माण कार्यों के बिलों की भुगतान राशि में से कमीशन सहित कुल 50,000/- रुपये रिश्त की मांग की गई। उक्त रिश्त राशि में से भारत भूषण गोयल द्वारा 2 प्रतिशत राशि राजकुमार सहायक अभियन्ता के लिये एवं 1 प्रतिशत राशि स्वयं के लिये कुल 50,000/- रुपये मांगकर, मांग के अनुसरण में आज दिनांक 24.09.2025 को कार्यालय अतिरिक्त जिला

परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाड़ा के बाहर परिवादी से 50,000/—रुपये भारत भूषण गोयल द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त की गई। तत्पश्चात् उक्त रिश्वत राशि 50,000/— रुपये परिवादी से प्राप्ति के संबंध में भारत भूषण गोयल ने राजकुमार सहायक अभियन्ता के मोबाईल पर कॉल कर बताया। तत्पश्चात् आरोपीगण राजकुमार सहायक अभियन्ता एवं भारत भूषण गोयल संविदाकर्मी को डिटैन किया गया तथा उक्त रिश्वत राशि 50,000/— रुपये जिसमें से 30,000/— रुपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 20,000/— रुपये के डमी नोट आरोपी भारत भूषण गोयल की पहनी हुई पेन्ट जेब से बरामद की गई है।

जिस पर एसीबी अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक श्री अनिल कयाल के सुपरवीजन में ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा—प्रथम के उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल के नेतृत्व में आज दिनांक 24.09.2025 को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी राजकुमार मून्दडा, सहायक अभियन्ता, कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाड़ा एवं भारत भूषण गोयल, कनिष्ठ अभियन्ता (संविदाकर्मी) कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा भीलवाड़ा द्वारा 50,000/— रुपये ग्रहण किये, जो आरोपी भारत भूषण गोयल की पेन्ट की बांयी जेब से बरामद की गई ।

आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्जकर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।